

**राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखाओं
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.04.2011 से 31.3.2016**

भाग—एक

1 (क) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:—

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा के उपरान्त अनिर्णीत पैरों का ब्यौरा परिशिष्ट "अ" पर दिया गया है। दीर्घकाल से लम्बित चले आ रहे अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु अविलम्ब कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊना के अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2016 में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	आपत्ति का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को दिनांक 31.3.2016 तक रोकड़ बही के अन्तिम शेषों में न दर्शाना	5	100.55
2	सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में दर्ज न करना	6	38.40
3	अंकेक्षण के दौरान मौके पर वसूली	8	0.38
4	विलम्ब शुल्क के रूप में कम एकत्रीकरण	9	2.12
5	ब्याज स्वरूप हुई हानि	10	0.16
6	निविदाओं में कम दर भरने वाली फर्म से सामान का क्रय न करने के कारण अधिक एवं गलत भुगतान	11 (ii)	0.06
7	केन्द्रीय बिक्री कर/बिक्री कर नम्बर के बिना फर्म को अधिक एवं गलत भुगतान	13	0.04
8	निधियों से क्रय किए गए स्थाई एवं गलत भुगतान निधियों की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियों व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न होना	15	0.50
9	व्यय वाउचर उपलब्ध न करवाना	16	3.03

10	औपचारिकताएँ पूर्ण किये बिना कम्प्यूटर सरवर डैल वर्क स्टेशन का क्रय करना	19	2.31
11	बिजली व टैलीफोन बिलों के रूप में अनियमित भुगतान	20	11.84
12	अस्थाई अग्रिम समायोजन हेतु शेष	21	2.07

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2011 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 3.03.2017 से 20.4.2017 तक के दौरान ऊना में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित माहों का चयन किया गया।

आय:— 6/11, 6/12, 9/13, 6/14 व 6/15

व्यय:— 3/12, 5/12, 9/13, 7/14 व 3/16

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख पर आधारित है। महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत व अधूरी सूचना सूचना प्रदान न करने की स्थिति में स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित माहों तक ही सीमित है।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्राचार्य आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे:—

क्र०सं०	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री अमरजीत शर्मा	1.4.2011 से 22.3.2013
2	श्री एस०के० चावला	23.3.2013 से 31.3.2016

3 अंकेक्षण शुल्क:—

उपरोक्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊना के अवधि 1.4.2011 से 31.3.2016 तक के छात्र निधि लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹40000 आंका गया। जिसे प्राचार्य द्वारा के०सी०सी०बी० ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या 287907 दिनांक 6.04.2017 के

माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को प्रेषित किया गया। अंकेक्षण शुल्क का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	प्राप्तियाँ (₹)	अंकेक्षण शुल्क (₹)
1	2011-12	3561210	8000
2	2012-13	2959905	8000
3	2013-14	3102179	8000
4	2014-15	3479547	8000
5	2015-16	3786883	8000
		योग	₹40000

4 वित्तीय स्थिति:-

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊना के वर्तमान छात्र निधि लेखों की अवधि 1.4.2011 से 31.3.2016 तक की वित्तीय स्थिति व दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न निधियों की रोकड़ बहियों के अन्तिम शेषों का विवरण बैंक खाता सहित परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

4.1 रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2016 तक ₹4.58 लाख का अन्तर:-

अंकेक्षण को प्रदान की गई वित्तीय स्थिति व रोकड़ बहियों की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक रोकड़ बहियों व बैंक खातों में ₹457558 का अन्तर था। रोकड़ बहियों व बैंक खातों में अन्तर ₹457558 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 53 दिनांक 17.3.2017 द्वारा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना:-

जाँच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.11 से 31.3.16 के दौरान विभिन्न निधियों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया। जबकि प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अपेक्षित थी। अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रत्येक माह के अन्त में प्रत्येक रोकड़ बही का बैंक खाते से मिलान करके बैंक समाधान

विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत अनुपालना से आगामी अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 विभिन्न छात्र निधियों से सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित ₹100.55 लाख को दिनांक 31.3.2016 तक रोकड़ बहियों के अन्तिम शेषों में न दर्शाना:—

जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न छात्र निधियों से सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित ₹10055022 को रोकड़ बहियों के अन्तिम शेषों में नहीं दर्शाया गया है विभिन्न छात्र निधियों से सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को रोकड़ बही के अन्तिम शेषों में न दर्शाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को रोकड़ बहियों के अन्तिम शेषों में न दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब छात्र निधियों से सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को रोकड़ बहियों के अन्तिम शेषों में दर्शाया जाना सुनिश्चित कर अंकक्षण को अवगत करवाया जाए। दिनांक 31.3.2016 तक विभिन्न छात्र निधियों से सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों का विवरण निम्नानुसार था।

क्र० सं०	निधि का नाम	एफ०डी०सं०	निवेश की तिथि	निवेशित की गई राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	ब्याज दर	बैंक का नाम
1	मिश्रित निधि	1287382	27.3.16	651302	27.3.17	701541	7.5%	के०सी०सी०बी० ऊना
2	परीक्षा निधि	349376	17.4.15	127904	17.4.16	139468	8.75%	के०सी०सी०बी० ऊना
3	पत्रिका निधि	349377	17.4.15	207138	17.4.16	225866	8.75%	के०सी०सी०बी० ऊना
4	छात्र कल्याण निधि	348188	17.4.15	155354	17.4.16	169400	8.75%	के०सी०सी०बी० ऊना
5	पहचान पत्र निधि	349378	17.4.15	139471	17.4.16	152081	8.75%	के०सी०सी०बी० ऊना
6	एन०सी० निधि	349379	17.4.15	65089	17.4.16	70974	8.75%	के०सी०सी०बी० ऊना
7	अनुपस्थिति निधि	348175	3.4.15	232118	3.4.16	253105	8.75%	के०सी०सी०बी० ऊना

8	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि	6537	17.7.15	378789	17.7.16	411767	8.5%	के0सी0सी0बी0 ऊना
9	होस्टल निधि	349380	17.4.15	194289	17.4.16	211855	8.75%	के0सी0सी0बी0 ऊना
10	भौतिकी निधि	348189	17.4.15	2195674	17.4.16	2394192	8.75%	के0सी0सी0बी0 ऊना
11	रसायन निधि	346837	17.4.15	1902790	17.4.16	2074827	8.75%	के0सी0सी0बी0 ऊना
12	वनस्पति विज्ञान निधि	6407	17.4.15	542727	17.4.16	591797	8.75%	के0सी0सी0बी0 ऊना
13	प्राणी विज्ञान निधि	348190	17.4.15	787128	17.4.16	858295	8.75%	के0सी0सी0बी0 ऊना
14	सांस्कृतिक गतिविधि निधि	348191	22.4.15	745701	22.4.16	813122	8.75%	के0सी0सी0बी0 ऊना
15	कॉलेज परिसर विकास निधि	349381	17.4.15	272681	17.4.16	297335	8.75%	के0सी0सी0बी0 ऊना
16	बुक रिप्लेसमेंट निधि	349382	17.4.15	828566	17.4.16	903479	8.75%	के0सी0सी0बी0 ऊना
17	फर्नीचर मुरम्मत निधि	349383	17.4.15	304494	17.4.16	332024	8.75%	के0सी0सी0बी0 ऊना
18	फर्नीचर रिप्लेसमेंट निधि	349384	17.4.15	310709	17.4.16	338801	8.75%	के0सी0सी0बी0 ऊना
19	संगीत निधि	346160	28.3.15	13098	28.3.16	14317	9%	के0सी0सी0बी0 ऊना

योग ₹10055022

6 सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज ₹38.40 लाख को रोकड़ बही में इन्द्राज न करना:—

जाँच के दौरान पाया गया कि अवधि 1.4.2011 से 31.3.2016 तक के दौरान विभिन्न छात्र निधियों से सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज ₹3839633 को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज नहीं किया गया था। सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करने का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 51 दिनांक 16.3.2017 द्वारा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अध्याचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अवधि 1.4.11 से 31.3.16 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज को रोकड़ बहियों के आय पक्ष में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज को रोकड़ बहियों के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 दिनांक 31.10.2014 को विभिन्न निधियों की रोकड़ बहियों के अन्तिम शेषों व आरम्भिक शेषों को न दर्शाना व विभिन्न निधियों की बचत खातों में शेष बची राशि को हस्तांतरित करके समिश्रित निधि को रोकड़ बहियाँ तैयार करने बारे:—

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.10.2014 को विभिन्न निधियों के बचत खातों में शेष बची राशियों को निम्नविवरणानुसार मिश्रित निधि में ₹7003180 व साईस निधि में ₹1577090 हस्तांतरित करके दिनांक 31.10.14 से दो संयुक्त रोकड़ बहियाँ तैयार की गई है।

(i) मिश्रित निधि में हस्तांतरित की गई राशि का विवरण:—

क्र०सं०	निधि का नाम	खाता संख्या	राशि
1	परीक्षा निधि	20096067259	142432
2	पत्रिका निधि	20096067260	602693
3	स्वास्थ्य निधि	20096067271	398101
4	छात्र सहायता निधि	20096067282	53360
5	पहचान पत्र निधि	20096067293	215190

6	एन0सी0सी0 निधि	20096067306	95560
7	जुर्माना निधि	20096067317	134601
8	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि	20096067328	199802
9	होस्टल प्रतिभूति निधि	20096067339	99022
10	सांस्कृतिक गतिविधि निधि	20096067384	414879
11	कैम्पस विकास निधि	20096067395	142858
12	बुक रिप्लैसमेंट निधि	20096067408	861713
13	फर्नीचर मुरम्मत निधि	20096067419	241080
14	फर्नीचर रिप्लैसमेंट निधि	20096067420	264753
15	स्काऊट एंड गाईड निधि	20096067431	1583059
16	संगीत निधि	20096067442	5179
17	खेल निधि	20096072474	1548898
	योग		7003180

(ii) विज्ञान निधि में हस्तांतरित की गई राशियों का विवरण:-

क्र०सं०	निधि का नाम	खाता संख्या	राशि
1	भौतिकी निधि	20096067340	706280
2	रसायन विज्ञान निधि	20096067351	414855
3	वनस्पति विज्ञान निधि	20096067362	63728
4	प्राणी विज्ञान निधि	20096067373	167455
5	ज्योग्राफी निधि	20096067453	36397
6	कम्प्यूटर निधि	20096067464	188375
	योग		₹1577090

उक्त निधियों की रोकड़ बहियों की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.10.2014 को मिश्रित निधि के बचत खाता संख्या 20096067237 में शेष बची ₹476457 व अन्य निधियों की हस्तांतरित की गई ₹7003180 कुल 7479637 व विज्ञान निधि का नया बचत खाता खोलकर हस्तांतरित की गई ₹1577090 से आरम्भिक शेष लेकर नई समिश्रित निधि रोकड़ बहियाँ शुरू की गई है। लेकिन उक्त हस्तांतरित की गई राशि की विभिन्न निधियों की रोकड़ बहियों की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 7/2013 से 10/2014 तक सभी रोकड़ बहियों के आरम्भिक व अन्तिम शेष नहीं निकाले गए हैं जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान यह सत्यापना सम्भव न हो सकी कि रोकड़ बहियों में दिनांक 31.10.2014 को अन्तिम शेष के रूप में जितनी राशि शेष बचती थी, वास्तव में उतनी ही राशि हस्तांतरित

की गई है अथवा नहीं। अतः उक्त छात्र निधियों की रोकड़ बहियों के अवधि 7/13 से 10/14 तक आरम्भिक व अन्तिम शेष निकालकर यह सुनिश्चित किया जाए कि वास्तव में उक्त निधियों की रोकड़ बहियों में उतनी ही राशि शेष बची थी जितनी राशि हस्तांतरित की गई है। शेष बची राशि व हस्तांतरित राशि में अन्तर होने की अवस्था में अन्तर की राशि सम्बन्धित निधियों में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त मिश्रित निधि के अवधि 3/15 से 3/16 तक आरम्भिक व अन्तिम शेष भी नहीं निकाले गए हैं। अतः उक्त निधियों के उक्त अवधियों के दौरान आरम्भिक व अन्तिम शेष न निकालने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व रोकड़ बहियों के उक्त अवधियों के आरम्भिक व अन्तिम शेष निकालकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को न दोहराने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

8 ₹0.38 लाख की अंकेक्षण के दौरान वसूली:-

(क) ₹23369 का दुर्विनियोजन व ब्याज सहित ₹32240 की मौके पर वसूली:-

जाँच के दौरान पाया गया कि शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार शुल्क एवं निधियों के रूप में एकत्रित राशि से कम राशि सरकारी कोष में निधियों में जमा करवा कर ₹23369 का दुरुपयोग किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(i) प्रवेश शुल्क व शैक्षणिक शुल्क के रूप में एकत्रित राशि से कम राशि सरकारी कोष में जमा करवाकर ₹15220 का दुरुपयोग का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	एकत्रण दिनांक	एकत्रित राशि	सरकारी कोष में जमा करवाने की तिथि	चालान संख्या	राशि	अन्तर
1	23.8.13	420				
2	4.9.13	7300				
3	6.9.13	900				
4	9.9.13	1350				
5	18.9.13	450				
		10420	23.12.13	25	9920	500
6	14.11.13	500				
7	18.11.13	200				
8	19.11.13	200				

		900	19.11.13	59	700	200
9	20.6.14	33275				
10	21.6.14	12045				
11	23.6.14	10650	26.6.14	27	23200	
12	24.6.14	23200	26.6.14	28	41450	
		79170			64650	14520
					योग	15220

(ii) शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर में शुल्कों के रूप में एकत्रित राशि में शुल्कों के रूप में एकत्रित राशि के वास्तविक योग से कम योग दर्शाकर ₹1700 का दुर्विनियोजन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	दिनांक	वास्तविक योग	दर्शाया गया योग	कम दर्शाया गया योग
1	14.6.14	8325	7225	1100
2	19.6.14	28950	28350	600
			योग	1700

(iii) शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर में शुल्कों के रूप में एकत्रित राशि को सरकारी कोष में जमा न करवा कर ₹325 का दुर्विनियोजन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	वसूली की तिथि	वसूली गई राशि	विवरण
1	27.3.15 से 30.3.15	125	प्रवेश शुल्क व पुनः प्रवेश शुल्क
2	6.4.15	100	पुनः प्रवेश शुल्क
3	15.6.15	100	पुनः प्रवेश शुल्क
	योग	325	

(iv) शरसीदों के अन्तर्गत शुल्क एवं निधियों के रूप में एकत्रित राशि से कम राशि शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज करने के कारण ₹2408 का दुर्विनियोजन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र०सं०	दिनांक	रसीद संख्या	छात्र का नाम	कक्षा	एकत्रित राशि (₹)	दर्ज की गई राशि (₹)	अन्तर (₹)	विवरण
1	1.6.12	00555785	मोनिका	एम०ए०-IV राजनीति शास्त्र	18	10	8	जुर्माना निधि
2	15.6.12	739118	पंकज	बी०ए०-II	579	429	150	शैक्षणिक शुल्क
3	27.6.12	496688	विनय मनकोटिया	बी०एस०सी०-I	789	639	150	शैक्षणिक शुल्क
4	30.6.12	622161	आस्था	बी०एस०सी०-I	884	834	50	माईगेशन

			सिंह					फीस
5	17.9.13	725101	किरण	बी0ए0—III	970	790	180	संगीत
6	17.9.13	725104	चेतन सिंह	बी0ए0—III	1420	1240	180	संगीत
7	17.6.14	406606	राहुल	बी0ए0—III	2509	1909	600	शैक्षणिक शुल्क
8	18.6.14	406694	विशाल	बी0ए0—III	2029	1429	600	शैक्षणिक शुल्क
9	26.6.14	2567	प्रदीप चौधरी	बी0ए0—I	1139	1049	90	संगीत
10	26.6.14	2574	रजनी बाला	बी0ए0—I	839	749	90	संगीत
11	26.6.14	2605	सौरभ कुमार	बी0ए0—I	1139	1049	90	संगीत
12	30.6.14	2989	रवीना मान	बी0एस0सी0—I	1159	1109	50	माईग्रेशन शुल्क
13	30.6.14	2995	शुभम राणा	बी0एस0सी0—I	1459	1409	50	माईग्रेशन शुल्क
14	19.6.15	8409	रजत कनौरिया	बी0ए0—I	1844	1729	120	प्रवेश शुल्क व संगीत निधि

योग

2408

(v) शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर में शुल्क एवं निधियों के रूप में दर्ज की गई राशि से कम राशि रोकड़ बहियों में दर्ज करके ₹3416 का दुर्विनियोजन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र०सं०	दिनांक	शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर पृ०सं०	निधि का नाम	दर्ज की गई राशि का योग	दिनांक	रोकड़ बही में दर्ज राशि	अन्तर
1	14.6.12	537	स्वास्थ्य निधि	936	15.6.12	836	100
2	15.6.12	549	मिश्रित निधि	29565	18.6.12	29564	1
3	18.6.12	567	मिश्रित निधि व कम्प्यूटर प्रायोगिक निधि	14445	20.6.12	14400	45
4	18.6.12	567	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि	6300	20.6.12	6200	100
5	16.6.14	शून्य	मिश्रित निधि व कम्प्यूटर प्रायोगिक निधि	21340	17.6.14	20340	1000
6	21.6.14	शून्य	जुर्माना निधि	330	17.6.14	—	330
7	27.6.14 से	शून्य	रसायन विज्ञान निधि	30360	2.7.14	30120	240

8	1.7.14 27.6.14 से शून्य 1.7.14	सांस्कृतिक गतिविधि निधि	11520	2.7.14	99210	1600	योग	3416
								₹23369

क्रम संख्या (i) से (v) तक का कुल योग (15520+1700+325+2408+3416)

उपरोक्त क्रम संख्या (i) से (v) पर उल्लेखित दुरुपयोग की गई ₹23369 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60 दिनांक 29.3.2017 के द्वारा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिस पर प्राचार्य द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए शुल्कों के रूप में दुरुपयोग की गई मूल ₹19045 व ब्याज ₹3955 कुल ₹23000 सरकारी कोष में चालान संख्या 15 दिनांक 17.4.2017 द्वारा व निधियों के रूप में दुरुपयोग की गई मूल ₹4324 व ब्याज ₹4916 कुल ₹9240 दिनांक 17.4.2017 को सम्बन्धित समिश्रित निधि में जमा करवा दी गई व राशि जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है। भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितताएं न दोहराने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए।

(ख) कम्प्यूटर प्रायोगिक निधि के रूप में ₹5760 का कम एकत्रीकरण व स्थल पर वसूली बारे:-

जाँच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्य व गणित पढ़ने वाले 995 विद्यार्थियों से कम्प्यूटर प्रायोगिक निधि ₹15 प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से ₹179100 (995x15x12) की वसूली की जानी अपेक्षित थी। लेकिन शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में दिनांक 1.3.2012 से 29.3.2012 तक कम्प्यूटर प्रायोगिक निधि ₹15 प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु 963 छात्रों से ₹173340 (963x180) एकत्रित दर्शाई गई जबकि परीक्षा परिणाम रजिस्टर के अनुसार वाणिज्य व गणित पढ़ने वाले 995 विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा दी थी। फलस्वरूप कम्प्यूटर प्रायोगिक निधि के रूप में ₹5760 (₹179100-₹173340) का कम एकत्रीकरण दर्शाया था। उक्त कम एकत्रीकरण का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58 दिनांक 20.3.2017 द्वारा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। जिस पर प्राचार्य द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करने उपरान्त यह राशि दिनांक 17.4.2017 को सम्बन्धित निधि में जमा करवा दी गई व राशि जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है।

9 विलम्ब प्रवेश शुल्क के रूप में ₹2.12 लाख का कम एकत्रीकरण:—

जाँच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2013–14, 2014–15 व 2015–16 की विवरणिकाओं (Prospectus) के पृष्ठ संख्या-1 में वर्णित निर्देशों के अनुसार दिनांक 11 जून से 20 जून तक विद्यार्थियों का प्रवेश बिना विलम्ब शुल्क के एवं 21 जून से 30 जून तक प्रवेश विलम्ब शुल्क ₹10 प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन की दर से एकत्र किया जाना अपेक्षित था लेकिन शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्ट्रों व रसीदों की जाँच करने पर पाया गया कि शैक्षणिक सत्र 2013–14, 2014–15 व 2015–16 के दौरान महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से वसूली योग्य विलम्ब शुल्क की जगह कम विलम्ब प्रवेश शुल्क वसूलने के कारण विलम्ब प्रवेश शुल्क के रूप में ₹211825 का कम एकत्रीकरण हुआ था जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र०सं०	दिनांक	शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या	प्रवेश शुल्क की दर	विलम्ब शुल्क	योग	एकत्रीकरण योग्य प्रवेश शुल्क व विलम्ब शुल्क	एकत्रीकरण की गई राशि	कम एकत्रीकरण
1	21.6.13	161	25	10	35	5635	4435	1200
2	22.6.13	237	25	20	45	10665	5925	4740
3	24.6.13	218	25	40	65	14170	11765	7220
4	25.6.13	54	25	50	75	4050	18985	
5	26.6.13	9	25	60	85	765		
6	27.6.13	144	25	70	95	13680	5770	7910
7	28.6.13	58	25	80	105	6090	2410	3680
8	29.6.13	67	25	90	115	7705	5635	2070
9	1.7.13	58	25	110	135	7830	1450	6380
10	2.7.13	25	25	120	145	3625	625	3000
11	5.7.13	5	25	150	175	875	275	600
12	6.7.13	3	25	160	185	555	395	160
13	9.7.13	38	25	190	215	8170	950	7220
14	10.7.13	13	25	200	225	2925	325	2600
15	21.6.14	33	25	10	35	1155	825	330
16	23.6.14	90	25	30	55	4950	2250	2700
17	24.6.14	184	25	40	65	11960	4600	7360

18	25.6.14	319	25	50	75	23925		7975	15950
19	26.6.14	206	25	60	85	17510		5150	12360
20	27.6.14	81	25	70	95	7695			
21	28.6.14	217	25	80	105	22785	66540	39980	26560
22	30.6.14	147	25	100	125	18375			
23	1.7.14	131	25	110	135	17685			
24	2.7.14	104	25	120	145	15080		3320	11760
25	3.7.14	108	25	130	155	16740		4025	12715
26	8.7.14	2	25	180	205	510	1585	175	1410
27	9.7.14	5	25	190	215	1075			
28	11.7.14	11	25	210	235	2585		685	1900
29	12.7.14	22	25	220	245	5390		1650	3740
30	15.7.14	38	25	250	275	10450		1200	9250
31	16.7.14	11	25	260	285	3135		1055	2080
32	22.6.15	144	25	20	45	6480		5660	820
33	23.6.15	73	25	30	55	4015		3360	655
34	24.6.15	4	25	40	65	260		245	15
1535	25.6.15	81	25	50	75	6075		2925	3150
36	26.6.15	193	25	60	85	16405		6475	9930
37	27.6.15	270	25	70	95	25650		7380	18270
38	29.6.15	135	25	90	115	15525		8670	6855
39	30.6.15	128	25	100	125	16000		8495	7505
40	14.7.15	34	25	240	265	9010		6700	2310
41	15.7.15	40	25	250	275	11000		8480	2520
42	16.7.15	23	25	260	285	6555		5505	1050
43	17.7.15	20	25	270	295	5900		4570	1330
44	20.7.15	43	25	300	325	13975		11455	2520

कुल योग 211825

उक्त वसूली योग्य विलम्ब शुल्क से कम विलम्ब प्रवेश शुल्क ₹211825 का प्रकरण
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 57 दिनांक 20.3.2017 द्वारा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय ऊना

के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अध्याचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण को नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त उल्लेखित विवरणानुसार महाविद्यालय में उक्त सत्रों के दौरान विवरणिकाओं में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार विलम्ब प्रवेश शुल्क ₹211825 का एकत्रीकरण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त विलम्ब प्रवेश शुल्क के रूप में कम एकत्रित की गई ₹211825 को उचित स्रोत से वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत भी करवाया जाए। भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

10 ब्याज स्वरूप हुई हानि ₹0.16 लाख:-

जाँच के दौरान पाया गया कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊना द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.11 से 31.3.16 के दौरान के0सी0सी0बी0 ऊना में सावधिक निवेश के अन्तर्गत राशियां निवेशित की गई। लेकिन निम्नविवरणानुसार सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों की परिपक्वता तिथि पर वसूली योग्य परिपक्वता राशि से कम राशि प्रदान की गई।

क्रम संख्या	निधि का नाम व एफ.डी. संख्या	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	प्रदान की गई राशि	अन्तर
1	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि 006537	17-7-14	350789	17-7-15	383442	378789	4653
2	मिश्रित निधि 1287382	27-3-14	564236	26-3-15	616757	616609	148
3	मिश्रित निधि 1287382	26-3-15	616609	26-3-16	662473	651302	11171
योग							15972

उपरोक्त उल्लेखित सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों की परिपक्वता राशि से कम राशि प्राप्त करने के कारण ब्याज स्वरूप हुई हानि ₹15972 का प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या-52 दिनांक 16-3-17 द्वारा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अध्याचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों पर प्राप्ति योग्य ब्याज से कम राशि प्राप्त करने के कारण ब्याज स्वरूप हुई हानि

₹15972 का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ब्याज स्वरूप हुई हानि 15972 की वसूली सम्बन्धित बैंक से करने के उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- 11 ₹0.23 लाख के क्रय सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद न होना व निविदाओं में कम दर भरने वाली फर्म से सामान क्रय नु करने के कारण ₹6220 का अधिक एवं गलत भुगतान:—

जांच के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि से विभिन्न वाऊचरों के अर्न्तगत विभिन्न मासों के दौरान खेलों के सामान का क्रय किया गया। जिसका विवरण निम्न निम्नानुसार है।

क्रम	वाऊचर	फर्म का	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
संख्या	संख्या/दिनांक	विवरण				
	219(1)	स्पोर्ट्स	टेबल टेनिस बॉल	4 बॉक्स	250	1000
	31-3-16	इण्डिया	क्रिकेट बॉल (स्पार्टन)	12 पीस	150	1800
		नंगल रोड	लैग गार्ड	1 जोडा	1250	1250
		ऊना	शिल्ड स्पार्टन	4 पीस	35	140
			स्पाईस एथलैटिक	4 पीस	450	1800
			नी-कैप स्पार्टन	12 पीस	20	240
			एवैल्टस कैप	12 पीस	20	240
			मैराथन जूते (नीविया)	10 पीस	850	8500
			बैडमिंटन रैकेट(एन.पी.29)	8 पीस	2375	19000
			किट बैग(एस.जी)	1 पीस	1400	1400
			फुटबॉल स्टड सूज	16 जोडे	425	6800
			जूडो ड्रैस	4 सैट	1275	5100
			बॉलीबॉल स्पार्टन	12 पीस	690	8280
						55550
					वैट	2778
					योग	58328

2	<u>219(2)</u> 31-3-16	राजधानी स्पोर्ट्स राम मन्दिर मार्केट, शिमला	क्रिकेट हेलमैट(एस.जी)	2	800	1600
			क्रिकेट एवडोमिनल गार्ड (एस.जी)	4	60	240
			क्रिकेट लैग गार्ड(एस. जी.)	2	610	1220
			क्रिकेट कश्मीर विलो (एस जी)	18	980	17640
			क्रिकेट बॉल मैच(एस जी)	18	980	17640
			क्रिकेट बैटिंग ग्लबस	3	800	2400
			स्टॉकिंग जुराबें	24	65	1560
			फुटबॉल स्पोर्ट्स	12	1060	12720
			बैडमिंटन शटटल	24	110	2640
			फुटबॉल ग्लबस	2	180	360
			ट्रैक सूट माईक्रो	10	1150	11500
			हाई जम्प कैरीवार	2	1520	3040
			बास्केटबॉल	10	395	3950
			हैण्डबॉल (स्पोर्ट्स)	4	495	1980
			जॉगगर फैल्टा	44	480	21120
			स्टिंग बाईनैक्स बैडमिंटन	5	220	1100
			रैस्लिंग कस्टूम	6	460	2760
						90470
					वैट	4523.50
					योग	94993.50

उपरोक्त उल्लेखित व्यय/ वाउचरों की जांच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियां हैं
जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि क्रम संख्या-1 पर उल्लेखित क्रय किया गया सामान किट बैग (एस.जी.) 1 पीस, ₹1400 क्रम संख्या-2 पर उल्लेखित क्रय सामान जोग्गर फैन्टा , 44 पीस, 21120 कुल ₹22520 के क्रय मदों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं था। अतः वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि क्रय सामान के किसी भी दुरुपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या(1) व (2) पर उल्लेखित क्रय किए गए सामान की निविदाओं की जांच करने पर पाया गया कि कुछ मदों में न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से सामान का क्रय न करने अधिक दरों पर सामान का क्रय किया गया है। जिसके फलस्वरूप महाविद्यालय द्वारा ₹6220 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	मद का नाम	जिस फर्म से क्रय किया गया	मात्रा	दर	मूल्य	न्यूनतम दर भरने वाली फर्म का नाम	दर	अधिक भुगतान
1	फुटबॉल जूते (स्टडस)	मैसर्ज स्पोर्ट्स इण्डिया ऊना	16 जोड़े	425	6800	मैसर्ज राजधानी स्पोर्ट्स शिमला	390	35x16=560
2	फुटबॉल स्पोर्ट्स (लैडर)	राजधानी स्पोर्ट्स शिमला	12 नम्बर	1060	12720	सिटी सेल्स ऊना	590	470x12=5640
3	स्पाईस जूते इथलैटिक्स	स्पोर्ट्स इण्डिया ऊना	4 पीस	450	1400	राजधानी स्पोर्ट्स शिमला	445	5x4=20
							योग	₹6220

अतः उपरोक्त उल्लेखित कम दर भरने वाली फर्म से उक्त सामान का क्रय न करके अधिक दर भरने वाली फर्म से क्रय करके ₹6220 के अधिक एवं गलत भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(iii) उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 2 पर उल्लेखित क्रय किए गए सामान के बिल/वाउचरों को सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया है। अतः उक्त बिल/वाउचरों को सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी से भुगतान हेतु पारित करवाने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 ₹0.08 के स्मृति चिन्हों का मिश्रित निधि से अनियमित क्रय:-

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत माह 3/12 के दौरान सी0एस0सी0ए0 कार्यक्रम हेतु स्मृति चिन्हों को क्रय करने पर निम्नविवरणानुसार ₹7500 का भुगतान किया गया।

क्रम सं०	वा0सं०/दिनांक	फर्म का विवरण	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	324/1.3.12	मैसर्ज लक्ष्मी ट्रेडर्स, गगरेट ऊना	स्मृति चिन्ह (छोटा आकार)	70	40	2800
2	325/1.3.12	मैसर्ज लक्ष्मी ट्रेडर्स, गगरेट ऊना	स्मृति चिन्ह (बड़ा आकार)	32	56.25	1800
3	326/1.3.12	मैसर्ज लक्ष्मी ट्रेडर्स, गगरेट ऊना	स्मृति चिन्ह (मध्यम आकार)	58	50	2900

क्रम संख्या (1) से (3) तक का कुल योग (2800+1800+2900) **₹7500**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई जिनका निराकरण किया जाए।

(1) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के अनुसार मिश्रित निधि से सी0एस0सी0ए0 कार्यक्रम हेतु स्मृति चिन्हों को क्रय करने का कोई प्रावधान नहीं है।

फलस्वरूप उक्त व्यय बारे नियमानुसार स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित किया जाए।

13 केन्द्रीय बिक्रीकर/बिक्री कर नम्बर के बिना भारत लाईट एंड टैन्ट हाऊस ऊना को ₹4450 का अनियमित भुगतान:—

व्यय की जाँच के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि से विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत विभिन्न माहों के दौरान विभिन्न प्रयोजनों हेतु टैन्ट एवं अन्य सामान को किराये पर लेने हेतु ₹144440 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र०सं०	वा०सं०/दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मूल्य
1	306 / 1.3.12	भारत लाईट एंड टैन्ट हाऊस ऊना	विभिन्न शामियाना पर्दे कुर्सियाँ इत्यादि बिक्री कर 10.30% 50%	₹43290 2229
			कुल योग	45519
2	307 / 1.3.12	भारत लाईट एंड टैन्ट हाऊस ऊना	कुर्सियाँ, मैट, गद्दे इत्यादि बिक्री कर 10.30%	2300 119
			योग	2419
3	308 / 1.3.12	भारत लाईट एंड टैन्ट हाऊस ऊना	मेज, मैट, चादर इत्यादि बिक्री कर	₹12800 659
			योग	13459
4	317 / 1.3.12	भारत लाईट एंड टैन्ट हाऊस ऊना	विभिन्न शामियाना, कुर्सियाँ इत्यादि बिक्री कर 10.30%	₹3025 156
			योग	3181
5	355 / 24.3.12	भारत लाईट एंड टैन्ट हाऊस ऊना	विभिन्न टैन्ट हाऊस का सामान	₹24990

			बिक्री कर 10.30% (50% पर)	1287
			योग	26277
6	187 (1)/16.3.16	कपिला टैन्ट हाऊस ऊना	विभिन्न टैन्ट हाऊस का सामान	₹6885
7	187 (ii)/16.3.16	कपिला टैन्ट हाऊस ऊना	विभिन्न टैन्ट हाऊस का सामान	₹46700
क्रम संख्या (1) से (7) तक का कुल योग				₹144440

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) पर उल्लेखित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उपरोक्त क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 पर उल्लेखित टैन्ट एवं अन्य सामान किराये पर लेने के कारण बिक्री कर के रूप में ₹4450 का भुगतान किया गया लेकिन उक्त बिल/वाउचरों में सम्बन्धित फर्म का केन्द्रीय बिक्री कर/बिक्री कर नम्बर उल्लेखित नहीं है। फलस्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर/बिक्री कर नम्बर के बिना उक्त फर्म को बिक्री कर के रूप में किया गया भुगतान ₹4450 अनियमित था। अतः सी0एस0टी0/एस0टी0 नम्बर के बिना उक्त फर्म को बिक्री कर के रूप में भुगतान की गई ₹4450 को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7 पर उल्लेखित किराये पर लिए गए टैन्ट एवं अन्य सामान को किराये पर लेने से पूर्व आवश्यक/निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई अर्थात् निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई हैं। निविदाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उक्त सामान को निम्न दरों पर किराये पर लिया गया था। आवश्यक/निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना उक्त टैन्ट एवं अन्य सामान को किराये पर लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

14 ₹0.24 लाख के रसायनों का क्रय दर संविदा फर्म से न करने बारे:-

व्यय लेखें की जाँच करने पर पाया गया कि रसायन विज्ञान निधि से वाउचर संख्या 339 दिनांक 15.3.2012 को रसायनों के क्रय हेतु निम्नविवरणानुसार ₹23990 का भुगतान किया गया।

क्र0सं0	फर्म का नाम	क्रय सामान मात्रा का विवरण	दर	मूल्य
1	रिसर्च एंड इन्स्ट्रुमेंट एण्ड सर्विसज, पालमपुर	कार्बन टैट्राक्लोराईड पोटाशियम आयोडाइड	2x2.5 लीटर 500 ग्राम	7885 7078
				15770
				22848
			वैट 5%	1142
			योग	23990

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उपरोक्त उल्लेखित रसायनों को क्रय करने से पूर्व आवश्यक/निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई अर्थात् निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी। निविदाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि रसायनों का क्रय निम्न दरों पर किया गया। अतः रसायनों को क्रय करने से पूर्व आवश्यक/निर्धारित औपचारिकताएं पूरा न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित रसायनों का क्रय सरकार द्वारा निर्धारित दर संविदा प्राप्त फर्म से नहीं किया गया। जबकि उक्त रसायनों का क्रय दर संविदा प्राप्त फर्म से किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त रसायनों का क्रय दर संविदा प्राप्त फर्म से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दर संविदा प्राप्त फर्म की क्रय दरों से तुलना करने उपरान्त किसी भी अधिक भुगतान की अवस्था में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

- 15 ₹0.50 लाख की क्रय की गई स्थाई एवं अस्थायी मदों की स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न होना:—

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत विभिन्न माहों के दौरान स्थाई एवं अस्थायी मदों का क्रय करने पर ₹49522 का निम्नविवरणानुसार भुगतान किया गया है।

क्र०सं०	निधि का नाम	वा०सं०/दिनांक	फर्म का नाम	संक्षिप्त क्रय विवरण	व्यय
1	होस्टल निधि	309 / 1.3.12	सेठी इलैक्ट्रिकल ऊना	विभिन्न बिजली का सामान	₹1240
2	मिश्रित निधि	331 / 9.3.12	सैणी स्वीट शॉप ऊना	रिफ्रैशमेंट	₹2700
3	मिश्रित निधि	345 / 16.3.12	कैन्टीन ठेकेदार राजकीय महाविद्यालय ऊना	रिफ्रैशमेंट	9284
4	मिश्रित निधि	356 / 24.3.12	ओउम भुजिया भण्डार ऊना	रिफ्रैशमेंट	2900
5	मिश्रित निधि	356 / 24.3.12	रणजीत टी स्टाल ऊना	रिफ्रैशमेंट	₹2900
6	मिश्रित निधि	356 / 24.3.12	सैणी स्वीट शॉप ऊना	रिफ्रैशमेंट	₹2950
7	मिश्रित निधि	359 / 31.3.12	कुलवन्त इलैक्ट्रिकल सेल्स ऊना	विभिन्न बिजली का सामान	₹2910
8	होस्टल निधि	112 / 18.9.13	मल्होत्रा इलैक्ट्रिकल ऊना	विभिन्न बिजली का सामान	₹2935
9	मिश्रित निधि	114 / 18.9.13	श्री राकेश कुमार, लिपिक	चैनल (16")	₹360

10	ज्योलॉजी निधि	117 / 21.9.13	परमार प्लाईवुड एंड हार्डवेयर स्टोर ऊना	हार्डवेयर सामग्री	₹12536
11	ज्योलॉजी निधि	117 / 21.9.13	परमार प्लाईवुड एंड हार्डवेयर स्टोर ऊना	हार्डवेयर सामग्री	₹433
12	ज्योलॉजी निधि	118 / 21.9.13	मैसर्ज लक्ष्मी टरेडर्स ऊना	पैन्ट सामग्री	₹1594
13	मिश्रित निधि	210 (i) / 31.3. 16	सिद्धबाबा लक्ष्मण जाति खादी ग्रामोद्योग विकास कमेटी, ऊना	चादर (सिंगल बैड)	₹480
14	मिश्रित निधि	210 (ii) / 31.3. 16	सिद्धबाबा लक्ष्मण जाति खादी ग्रामोद्योग विकास कमेटी, ऊना	चादर (डबल बैड)	₹4800
15	मिश्रित निधि	211 / 31.3. 2016	हार्ड टैक कम्प्यूटर सिस्टम ऊना	डीवीडी राईटर	₹1500
योग					₹49522

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 15 पर उल्लेखित क्रय किए गए ₹49522 के स्थाई एवं अस्थायी सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं था। स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियों व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय किए गए सामान के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वाँछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 ₹3.03 लाख के व्यय वाउचर जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:—

जाँच के दौरान पाया गया कि अनुपस्थिति निधि की रोकड़ वही के व्यय में विभिन्न मासों के दौरान ₹303036 व्यय दर्शाई गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र०सं०	माह	रोकड़ बही पृ०सं०	राशि	विवरण
1	3/2013	41	130668	छात्रों को ईनाम
2	4/2013	42	11125	छात्रों को ईनाम
3	5/2013	43	3850	छात्रों को ईनाम
4	6/2013	44	5875	छात्रों को ईनाम
5	8/2013	46	151518	कोई विवरण उल्लेखित नहीं
कुल योग			303036	

उपरोक्त उल्लेखित ₹303036 व्यय दर्शाई गई राशि के रोकड़ वही में वाउचर संख्या उल्लेखित नहीं थी व न ही उक्त व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए गए। रोकड़ वही के व्यय कॉलम में छात्रों को ईनाम/पारितोषिक दर्शाया गया है। बिना बिल व वाउचर के उक्त दर्शाये गये व्यय ₹303036 से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण उक्त राशि के किसी भी दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त व्यय दर्शाई गई ₹303036 के व्यय से सम्बन्धित वाँछित बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं। बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने व उक्त राशि के किसी भी दुरुपयोग की अवस्था में राशि वसूली योग्य है।

17 ₹3.52 लाख के व्यय/वाउचरों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित न करना:—

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत, विभिन्न माहों के दौरान, विभिन्न निधियों से ₹351548 का व्यय निम्नविवरणानुसार किया गया।

क्र०सं०	निधि का नाम	वा०सं०/दिनांक	फर्म/व्यक्ति जिसे भुगतान किया गया	राशि (₹)
1	मिश्रित निधि	81/2.9.13	श्री एस०के० बंसल को यूथ फ़ैस्टीवल हेतु दिया गया अग्रिम	9000
2	मिश्रित निधि	82/2.9.13	कार्यालय टैलीफोन बिल	4280

3	मिश्रित निधि	83 / 4.9.13	श्री रजत शर्मा को वापिस की गई होस्टल प्रतिभूति	1000
4	मिश्रित निधि	84 / 4.9.13	श्री अमित शर्मा को वापिस की गई होस्टल प्रतिभूति	1000
5	मिश्रित निधि	85 / 4.9.13	श्री नन्द लाल (डी0पी0ई0) को इन्टरकालेज रैस्लिंग प्रतियोगिता हेतु दिया गया अग्रिम	14000
6	मिश्रित निधि	86 / 4.9.13	श्री नन्द लाल (डी0पी0ई0) को इन्टरकालेज फुटवाल प्रतियोगिता हेतु दिया गया अग्रिम	20000
7	रसायन विज्ञान निधि	87 / 6.9.13	कमल गैस एजेन्सी को रसायन विज्ञान से किया गया भुगतान	2676
8	मिश्रित निधि	88 / 6.9.13	श्री रमेश कुमार खेल चपरासी को दिया गया वेतन	4650
9	मिश्रित निधि	89 / 7.9.13	श्रीमती इन्दु वाला संगीत प्राध्यापक को यूथ फेस्टीवल हमीरपुर हेतु दिया गया अग्रिम	20000
10	मिश्रित निधि	90 / 9.9.13	मैसर्ज कुलदीप इलैक्ट्रानिक्स वकर्स, ऊना	1800
11	मिश्रित निधि	91 / 9.9.13	मैसर्ज यूनियवर्सल कम्प्यूटर्स, ऊना	900
12	मिश्रित निधि	92 / 9.9.13	मार्डन एजैन्सी, ऊना	350
13	मिश्रित निधि	93 / 9.9.13	सेठी इलैक्ट्रानिक्स ऊना	840
14	मिश्रित निधि	94 / 9.9.13	श्री संजय वर्मा, संगीत प्राध्यापक के यूथ फेस्टीवल हेतु दिया गया अग्रिम	10000
15	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि	97 / 11.9.13	हिमाचल प्रदेश जनरल इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन बिलासपुर (हि0प्र0)	118125
16	मिश्रित निधि	98 / 11.9.13	मैसर्ज अश्वनी करियाना स्टोर ऊना	2950
17	मिश्रित निधि	99 / 11.9.13	मार्डन एजैन्सी ऊना	5250

18	मिश्रित निधि	100 / 11.9.13	सतपाल शर्मा एण्ड सन्स ऊना	2250
19	मिश्रित निधि	101 / 11.9.13	श्रीमती अरुणा शर्मा को एस0पी0यू0 इन्टरकालेज चैम्पियनशिप फुटबाल हेतु दिया गया अग्रिम	8000
20	मिश्रित निधि	102 / 11.9.13	श्री बरियाम सिंह	100
21	मिश्रित निधि	103 / 11.9.13	श्री परमिन्द्र कुमार बी0ए0—III	100
22	मिश्रित निधि	104 / 11.9.13	गुरु दी हटटी, ऊना	2765
23	मिश्रित निधि	105 / 11.9.13	गुरु दी हटटी, ऊना	2889
24	होस्टल निधि	106 / 11.9.13	राज कुमार बी0काम0—III	1000
25	भौतिकी निधि	107 / 13.9.13	हाईटैक कम्प्यूटर सिस्टम ऊना	1500
26	मिश्रित निधि	110 / 18.9.13	श्री राजेन्द्र सिंह (एल0ए0)	2850
27	मिश्रित निधि	111 / 18.9.13	श्री हरमिन्द्र सिंह (ठेकेदार) ऊना	1800
28	होस्टल निधि	112 / 18.9.13	मल्होत्रा इलैक्ट्रॉनिक्स ऊना	2935
29	वनस्पति विज्ञान	124 / 24.9.13	कयूरिमा इलैक्ट्रॉनिक्स ऊना	36200
30	मिश्रित निधि	125 / 25.9.13	श्री नन्द लाल (डी0पी0ई0) को एच0पी0यू0 क्रिकेट ट्रायल हेतु दिया गया अग्रिम	8500
31	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि	42 / 2.7.14	बी0एस0एन0एल0 लिमिटेड (नेटवर्किंग)	9163
32	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि	185 / 16.3.16	गुरु दी हटटी	1090
33	मिश्रित निधि	187 (i) / 16.3. 16	कपिला टैन्ट हाऊस	6885
34	मिश्रित निधि	187 (ii) / 16.3. 16	कपिला टैन्ट हाऊस	46700

कुल

₹351548

उपरोक्त उल्लेखित ₹351548 के व्यय/वाउचरों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया था। अतः उक्त व्यय/वाउचरों को सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी से उक्त बिल/वाउचरों को भुगतान हेतु

पारित करवाने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेंक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 ₹0.79 लाख के बिल/वाउचर अंकेंक्षण में प्रस्तुत न करना:—

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत विभिन्न मासों के दौरान ₹78822 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र०सं०	निधि का नाम	वा०सं०/माह/दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	राशि (₹)
1	परीक्षा निधि	108/16.9.13	लक्की प्रिंटिंग प्रैस, ऊना	43680
2	मिश्रित निधि	175/2.3.16	मैसर्ज ग्लोबल इन्ट्रेक्टिव मॉल प्राईवेट लिमिटेड गुडगांव, हरियाणा	31300
3	मिश्रित निधि	215/21.3.16	मैसर्ज लक्की प्रिंटिंग गैस, ऊना	850
4	साईंस निधि	67/31.3.16	रिसर्च एंड संस्थान पालमपुर	2992
कुल योग				78822

उपरोक्त उल्लेखित व्यय राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेंक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। बिल/वाउचरों के अभाव में उपरोक्त उल्लेखित व्यय दर्शाई गई राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वाँछित बिल/वाउचर आगामी अंकेंक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित जाएं अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है।

19 औपचारिकताएँ पूर्ण किये बिना ₹2.31 लाख के कम्प्यूटर सरवर डैल वर्कस्टेशन का क्रय करना:—

जाँच के दौरान पाया गया कि विज्ञान निधि से वाउचर संख्या 62 दिनांक 14.3.2016 को भौतिकी विज्ञानशाला हेतु कम्प्यूटर सरवर डैल वर्कस्टेशन क्रय करने पर निम्नविवरणानुसार ₹230500 का भुगतान किया गया।

क्र०सं०	वा०सं०/दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	62/14.3.16	फयूचर सिस्टमस चण्डीगढ़	डैल वर्क स्टेशन 7810xCTO	1	228500	228500
						छूट 4.76% 10877.40
						217623.40

वैट 5%	10881.17
	228504.57
योग	228504
किराया भाड़ा	2000
कुल योग	230504
भुगतान	230500

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचर की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उपरोक्त उल्लेखित सरवर डैल वर्क स्टेशन 7810xCTO का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के सरकारी उपक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन खलीणी शिमला से किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त सरवर कम्प्यूटर का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के सरकारी उपक्रम से क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सामान की क्रय दरों को सरकारी उपक्रम की क्रय दरों से तुलना करने उपरान्त किसी भी अधिक भुगतान की अवस्था में अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित सरवर कम्प्यूटर को क्रय करने से पूर्व निर्धारित औपचारिकताएँ/टैण्डर आमन्त्रित किए जाने अपेक्षित थे। अतः इस व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

20 बिजली व टैलीफोन बिलों के रूप में ₹11.84 लाख का अनियमित भुगतान:—

राजकीय महाविद्यालय ऊना द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना परिशिष्ट "ख" पर दिए गए विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/16 के दौरान मिश्रित निधि से विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत विभिन्न मासों के दौरान बिजली बिलों के रूप में ₹1825339 व टैलीफोन बिलों के रूप में ₹214753 कुल ₹2040092 का भुगतान किया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यायदेश 1973 के अध्याय XLII के नियम 42.2 के अनुसार मिश्रित निधि से उपरोक्त उल्लेखित व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप सम्पूर्ण व्यय मिश्रित निधि पर उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनाधिकृत एवं अनियमित भुगतान है। यद्यपि उक्त भुगतान की गई राशि में से माह 3/16 तक ₹856563 की कार्यालय व्यय से पूर्तिपूर्ति कर ली गई है। लेकिन शेष ₹1183529 की प्रतिपूर्ति करनी अभी शेष है। अतः उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से करने उपरान्त यह राशि समिश्रित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 अस्थाई अग्रिम ₹2.07 लाख समायोजन हेतु शेष:-

अग्रिम रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक निम्नविवरणानुसार ₹207100 के प्रदान किए गए अग्रिम समायोजन हेतु शेष थे:-

क्र०सं०	वा०सं०/दिनांक	कर्मचारी का नाम	राशि (₹)
1	71/28.6.11	श्री राजेन्द्र सिंह	2000
2	110/11.8.11	श्री आर०के० शर्मा	3000
3	166/10.10.11	श्री मोहिन्द्र सिंह	10000
4	174/17.10.11	श्री पी०एस० चन्देल	20000
5	296/13.2.12	श्री राजेन्द्र शर्मा	800
6	13/23.4.12	श्री राजेन्द्र शर्मा	3000
7	96/10.9.12	श्री संजय वर्मा	45000
8	155/6.11.12	श्री नन्द लाल	21000
9	128/30.11.12	श्री संजय वर्मा	3000
10	234/14.2.13	श्री नन्द लाल	6000
11	131/3.10.13	श्रीमती इन्दु बाला	10000
12	260/6.3.14	श्री भगवान दास	3300
13	263/10.3.14	श्रीमती इन्दु बाला	30000
14	72/4.8.14	श्री नन्द लाल	4000
15	112/12.9.14	श्री एस०के० बंसल	10000
16	144/14.10.14	श्रीमती सोपनिया प्रभाकर	5000
17	102/17.9.15	श्री रवि राज	31000
कुल योग			₹207100

लेकिन महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण को परिशिष्ट "ग" पर प्रदान की गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹64000 के अग्रिम समायोजन हेतु शेष दर्शाए गए। उक्त अग्रिम रजिस्टर के अनुसार ₹207100 के असमायोजित अग्रिमों के विरुद्ध ₹64000 के अग्रिम समायोजन हेतु शेष दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ₹207100 के असमायोजित अग्रिमों के समायोजन वाउचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

21.1 अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान प्रदान किए गए ₹0.78 लाख के अग्रिमों के समायोजन वाउचर प्रस्तुत न करना:—

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न मासों के दौरान, विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत, विभिन्न प्रयोजनों हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नविवरणानुसार ₹78000 के अग्रिम प्रदान किए गए थे।

क्र०सं०	वा०सं०/दिनांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	राशि	विवरण
1	327/3.3.12	श्रीमती समीक्षा (सहायक प्राध्यापक वनस्पति विज्ञान)	2000	(मिश्रित निधि) वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह
2	109/16.9.13	श्री नन्द लाल (डी०पी०ई०)	29000	(मिश्रित निधि) इन्टर कॉलेज हॉकी चैम्पियनशिप पौन्टा साहिब
3	113/18.9.13	श्री नन्द लाल (डी०पी०ई०)	27000	(मिश्रित निधि) इन्टर कालेज क्रिकेट प्रतियोगिता, सुजानपुर
4	129/28.9.13	श्री समीक्षा (सहायक प्राध्यापक वनस्पति विज्ञान)	3000	स्टेज डेकोरेशन (मिश्रित निधि)
5	179/4.3.16	श्री हरविन्द्र सिंह	10000	लड़कों के छात्रावास में पेन्ट करवाने हेतु (मिश्रित निधि)
6	181/14.3.16	श्री हरविन्द्र सिंह	5000	लड़कों के छात्रावास में पेन्ट करवाने हेतु (मिश्रित निधि)
7	196/26.3.16	नाम उल्लेखित नहीं	2000	संगीत कमरे (मिश्रित निधि)
कुल योग			78000	

उपरोक्त उल्लेखित ₹78000 के अग्रिमों के समायोजन से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। उक्त अग्रिमों के समायोजन वाउचरों के अभाव में उपरोक्त उल्लेखित व्यय की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः उक्त अग्रिमों के समायोजन वाउचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ।

21.2 वास्तविक व्यय से अधिक राशि का अग्रिम प्रदान करना:—

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि कुछ प्रकरणों में राशियाँ व्यय से अधिक प्रदान की गई थी व शेष बची राशि को बहुत देरी से निधि में जमा करवाया गया है। व्यय से अधिक अग्रिम प्रदान करने के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं:—

क्र०सं०	समायोजन वा०सं०	अग्रिम राशि स्वीकृत करने की तिथि	अग्रिम राशि	वास्तविक व्यय	प्रतियोगिता समाप्ति की तिथि	शेष बची राशि व जमा करवाने की तिथि	कर्मचारी का नाम	जितने दिन देरी से जमा करवाई
1	345	2.11.11	20000	9284	30.12.11	10716 दिनांक 5.3.12	श्री डी०के० भारद्वाज	65 दिन
2	346	9.11.11	24000	23658	15.11.11	342 दिनांक 31.12.11	श्री महिन्द्र सिंह	45 दिन
3	347	18.11.11	23000	21756	23.11.11	1244 दिनांक 6.1.12	श्री तिरलोक चन्द	43 दिन
4	348	1.11.11	32000	30010	4.11.11	1990 दिनांक 31.12.11	श्रीमती उमा रानी	56 दिन
5	349	4.11.11	40000	27026	13.11.11	12974 दिनांक 20.12.11	श्री पंकज विशिष्ट	36 दिन
6	350	20.10.11	25000	18290	5.11.11	6710 दिनांक 16.12.11	श्री प्रवीण सांख्यान	40 दिन
7	351	17.9.11	28000	22068	20.9.11	5932 दिनांक 3.12.11	श्रीमती सुनीता	73 दिन

शेष बची राशि को प्रायोजन समाप्ति के तुरन्त बाद निधि में जमा किया जाना अपेक्षित था ताकि निधि के अस्थाई दुर्विनियोजन पर रोक लगाई जा सके। अतः व्यय से अधिक अग्रिम प्रदान करना व शेष राशियों को देरी से जमा कर अस्थाई दुर्विनियोजन करने

बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जाये।

22 मिश्रित निधि से खरीदी गई डाक टिकटों के सन्दर्भ में:—

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से वाउचर संख्या 332 दिनांक 9.3.12 को डाक टिकटों के क्रय करने पर ₹5000 का व्यय किया गया। यद्यपि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के नियम में डाक टिकटें क्रय करने का प्रावधान है। लेकिन उक्त मिश्रित निधि से खरीदी गई डाक टिकटों का अलग से स्टॉक रजिस्टर व व्यय अभिलेख रखना अपेक्षित था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त टिकटों का व्यय छात्र कल्याण हेतु किया गया। महाविद्यालय द्वारा अलग से स्टॉक रजिस्टर व डाक टिकटों का अभिलेख तैयार न करने स्थिति में उक्त व्यय अनियमित है। अतः वाँछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डाक टिकटों का उपयोग नियमानुसार ही किया गया है।

23 ₹0.48 लाख को मिश्रित निधि में जमा न करवाकर अन्य निधि में जमा करवाना:—

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 12.2.2015 को मिश्रित निधि की रोकड़ बही में ₹47880 आय पक्ष में दर्ज की गई थी। लेकिन उक्त आय को मिश्रित निधि के बचत खाते में जमा न करवाकर विश्वविद्यालय शुल्क खाता संख्या 20096067226 में जमा करवाया गया था। उक्त गलत जमा करवाई गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण के दौरान ही प्राचार्य के ध्यानार्थ लाया गया। जिस पर प्राचार्य द्वारा त्वरित कार्यवही करते हुए उक्त ₹47880 को विश्वविद्यालय शुल्क खाते से आहरित/हस्तांतरित करके मिश्रित निधि में दिनांक 12.4.2017 को जमा कर दी गई व राशि जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है।

24 अंकेक्षण में रसीदें प्रस्तुत न करना:—

आय की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान निम्नविवरणानुसार शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर में शुल्क एवं निधियों की वसूली हेतु जारी की गई रसीदें अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। रसीदों के अभाव में शुल्क एवं निधियों के रूप में वसूली हेतु राशि की सत्यापन वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी कि वास्तव में छात्रों से उतनी ही राशि की वसूली की गई है जितनी राशि शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज की गई है अथवा नहीं। अंकेक्षण में रसीदें प्रस्तुत न करने का

प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या 61 दिनांक 29.3.2017 को प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अध्याचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया व न ही उक्त रसीदें अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की गईं। अतः वाँछित रसीदें आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि उक्त रसीदों के अन्तर्गत वसूली दर्शाई गई राशि की सत्यता की सत्यापना सम्भव हो सके।

क्र०सं०	दिनांक	रसीद संख्या
1	12.6.14	406451 से 406550
2	17.6.14 से 18.6.14	406651 से 406750
3	19.6.14 से 20.6.14	406801 से 406950
4	28.6.14	380002 से 380054
5	30.6.14	380055 से 380105
6	18.6.15	594773
7	26.6.15	594774

25 सावधिक जमा निवेश रजिस्टर तैयार न करना:—

अंकेक्षण अवधि 1.4.11 से 31.3.16 के दौरान विभिन्न छात्र निधियों से सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित की गई राशियों को सावधिक निवेश रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया व न ही सावधिक जमा निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज को सावधिक निवेश रजिस्टर में दर्ज किया गया है। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.11 से 31.3.16 के दौरान विभिन्न छात्र निधियों से सावधिक जमा निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों व निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज को सावधिक निवेश रजिस्टर में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/16 के दौरान विभिन्न छात्र निधियों से सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों व निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज को सावधिक जमा निवेश रजिस्टर में दर्ज करके सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

26 उत्तर पुस्तिकाओं की खपत का विवरण नियमानुसार न रखने बारे:—

जाँच के दौरान पाया गया कि उत्तरपुस्तिकाओं के स्टॉक रजिस्टर में उत्तरपुस्तिकाओं की खपत का अभिलेख नियमानुसार नहीं रखा गया है। जबकि गृह परीक्षाओं हेतु खरीदी गई उत्तरपुस्तिकाओं की खपत का अभिलेख कक्षानुसार, छात्रों की संख्या, पेपर व दिनांक के अनुसार रखा जाना अपेक्षित था लेकिन गृह परीक्षाओं हेतु क्रय की गई उत्तरपुस्तिकाओं की मात्रा को एकमुश्त ही खपत किया गया दर्शाया है। अतः गृह परीक्षाओं हेतु क्रय की गई

उत्तरपुस्तिकाओं की खपत का विवरण नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि 1.4.2011 से 31.3.2016 तक गृह परीक्षाओं हेतु क्रय की गई उत्तरपुस्तिकाओं की खपत का विवरण नियमानुसार तैयार करने उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

27 सरकारी खजाने में जमा करवाई गई राशि का सरकारी कोष से मिलान न करना:—

अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवाई गई राशि का सरकारी कोष के साथ मिलान नहीं किया गया था जबकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी खजाने में जमा करवाई गई राशि का मिलान किया जाना अपेक्षित था। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न चालानों के द्वारा जमा दर्शाई गई राशि वास्तविक रूप में सरकारी खजाने में जमा हो गई है। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.2011 से 31.3.2016 तक के दौरान चालानों द्वारा जमा करवाई गई राशि का सरकारी खजाने किया जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 विविध:—

(क) निधि एकत्रीकरण हेतु जारी रसीदों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार विद्यार्थियों से शुल्क एवं निधियों की वसूली हेतु जारी की गई रसीदों की कार्बन प्रतिलिपियों में कटिंग उपरान्त प्राप्त राशि को कम करके लिखा गया है कार्बन प्रतिलिपियों की कटिंग को किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था एवं कटिंग उपरान्त कम राशि करके शेष बची राशि को भी सम्बन्धित विद्यार्थियों को वापिस नहीं किया गया है। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

क्र०सं०	रसीद संख्या	दिनांक	विद्यार्थी का नाम	कार्बन प्रतिलिपि में प्राप्त राशि (₹)	कटिंग उपरान्त दर्शाई गई राशि (₹)	अन्तर (₹)
1	0627692	9.6.11	आदर्श शर्मा	894	724	170
2	0627705	9.6.11	पंकज	894	834	60
3	0627735	9.6.11	हरीश	724	604	120
4	0300071	11.6.11	साक्षी	724	574	150
5	0375063	18.6.11	करण सिंह	974	864	110
6	0622161	30.6.12	आस्था	984	884	100
					कुल योग	710

(ख) जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार विद्यार्थियों से रसीदों का अन्तर्गत अनुपस्थिति जुर्माना के रूप में ₹79 एकत्र किये गये लेकिन उक्त राशि को शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर एवं रोकड़ बही में दर्ज न करके दुर्विनियोजन किया गया है जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र०सं०	दिनांक	रसीद संख्या	छात्र का नाम	कक्षा	राशि (₹)
1	16.6.14	1793	मुनीश कुमार	एम०कॉम	19
2	9.6.15	7243	करुण शर्मा	एम०ए० अंग्रेजी	6
3	9.6.15	7244	प्रिया ठाकुर	एम०ए० अंग्रेजी	11
4	12.6.15	7532	विजय कुमार	एम०ए० अंग्रेजी	7
5	12.6.15	7533	मुकेश कुमारी	एम०ए० अंग्रेजी	7
6	12.6.15	7534	अमनीश	एम०ए० अंग्रेजी	4
7	12.6.15	7535	नेहा रानी	एम०ए० अंग्रेजी	7
8	12.6.15	7536	अनु देवी	एम०ए० अंग्रेजी	5
9	15.6.15	7730	आशा कुमारी	एम०ए० राजनीति शास्त्र	13
कुल योग					79

29 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

30 निष्कर्ष:— लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

(चन्द्रेश हाण्डा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:—फिन(एल०ए०)एच(2)सी (15)(xi)(v)39/77-खण्ड-7-6419-6421 दिनांक, 25.10.17
शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- उप सचिव (उच्चतर शिक्षा) हि०प्र० सरकार शिमला-171002
- निदेशक (उच्चतर शिक्षा) शिक्षा विभाग हि०प्र० शिमला-171001
- पंजीकृत प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊना, तहसील व जिला ऊना, हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीघ्र भेजें।

हस्ता/—

(चन्द्रेश हाण्डा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

फोन नं० 0177-2620881

परिशिष्ट "अ"

अंकेक्षण अवधि 1.4.2011 से 31.3.2016 के पैरा 1 (क) में दर्शित पैरों की वर्तमान स्थिति

(क) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 2/73 से 1/77

अवधि 2/73 से 1/77 का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति उचित स्रोत से प्राप्त करके अनिर्णीत अनुच्छेदों पर अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2/77 से 3/81

1	पैरा-4	अनिर्णीत
2	पैरा-5	अनिर्णीत
3	पैरा-6	अनिर्णीत
4	पैरा-7	अनिर्णीत
5	पैरा-8 (ए)	अनिर्णीत
6	पैरा-8 (बी)	अंशतः निर्णीत
7	पैरा-9	अनिर्णीत
8	पैरा-10 (1 से 3)	अनिर्णीत
9	पैरा-11	अनिर्णीत
10	पैरा-12 (1 से 5)	अनिर्णीत
11	पैरा-12 (7 व 8)	अनिर्णीत
12	पैरा-13	अनिर्णीत
13	पैरा-14	अनिर्णीत
14	पैरा-15	अनिर्णीत
15	पैरा-16	अनिर्णीत
16	पैरा-17	अनिर्णीत
17	पैरा-18	अनिर्णीत
18	पैरा-19	अनिर्णीत
19	पैरा-20	अनिर्णीत

20	पैरा-21	अनिर्णीत
21	पैरा-22 (ए से जे)	अनिर्णीत
22	पैरा-23	अनिर्णीत
23	पैरा-24	अनिर्णीत
24	पैरा-25	अनिर्णीत
25	पैरा-26	अनिर्णीत
26	पैरा-27	अनिर्णीत
27	पैरा-28	अनिर्णीत
28	पैरा-29	अनिर्णीत
29	पैरा-30	अनिर्णीत
30	पैरा-31	अनिर्णीत
31	पैरा-32 (3)	अनिर्णीत
32	पैरा-35	अनिर्णीत
33	पैरा-36	अनिर्णीत
34	पैरा-37	अनिर्णीत
35	पैरा-38	अनिर्णीत
36	पैरा-39 (1 व 2)	अनिर्णीत
37	पैरा-40	अनिर्णीत
38	पैरा-42	अनिर्णीत
39	पैरा-43	अनिर्णीत
40	पैरा-44	अनिर्णीत
41	पैरा-45	अनिर्णीत
42	पैरा-48	अनिर्णीत
43	पैरा-49	अनिर्णीत
44	पैरा-51	अनिर्णीत
45	पैरा-52	अनिर्णीत
46	पैरा-53	अनिर्णीत
47	पैरा-54 (ए से क्यू)	अनिर्णीत
48	पैरा-54 (टी से जैड)	अनिर्णीत

49	पैरा-54 (ए,ए बी,बी)	अनिर्णीत
50	पैरा-54 (डी,डी से एफ,एफ)	अनिर्णीत
51	पैरा-54 (ए,ए,ए से डी,डी,डी)	अनिर्णीत
52	पैरा-54 (ओ,ओ,ओ, पी,पी,पी, क्यू,क्यू,क्यू)	अनिर्णीत
53	पैरा-54 (एस,एस,एस से जैड,जैड,जैड)	अनिर्णीत
54	पैरा-55	अनिर्णीत
55	पैरा-56 (ए से सी)	अनिर्णीत
56	पैरा-56 (ई से जे)	अनिर्णीत
57	पैरा-56 (एल से क्यू)	अनिर्णीत
58	पैरा-56 (एस0 से जैड)	अनिर्णीत
59	पैरा-56 (ए,ए से सी,सी)	अनिर्णीत
60	पैरा-57	अनिर्णीत
61	पैरा-58	अनिर्णीत
62	पैरा-59	अनिर्णीत
63	पैरा-60	अनिर्णीत
64	पैरा-61	अनिर्णीत
65	पैरा-62	अनिर्णीत
66	पैरा-63	अनिर्णीत
67	पैरा-64	अनिर्णीत
68	पैरा-65	अनिर्णीत
69	पैरा-66	अनिर्णीत
70	पैरा-67	अनिर्णीत
71	पैरा-68	अनिर्णीत
72	पैरा-69	अनिर्णीत
73	पैरा-70	अनिर्णीत
74	पैरा-72	अनिर्णीत
75	पैरा-73	अनिर्णीत
76	पैरा-74	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/81 से 3/87

1	पैरा-4	अनिर्णीत
2	पैरा-5	अनिर्णीत
3	पैरा-7	अनिर्णीत
4	पैरा-8	अनिर्णीत
5	पैरा-10	अनिर्णीत
6	पैरा-11	अनिर्णीत
7	पैरा-12 (6 से 10)	अनिर्णीत
8	पैरा-13 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा-13 (5 से 10)	अनिर्णीत
10	पैरा-13 (13 से 28)	अनिर्णीत
11	पैरा-13 (30 से 56)	अनिर्णीत
12	पैरा-13 (58 से 61)	अनिर्णीत
13	पैरा-13 (63 से 78)	अनिर्णीत
14	पैरा-14	अनिर्णीत
15	पैरा-15 (सी)	अनिर्णीत
16	पैरा-16	अनिर्णीत
17	पैरा-17 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा-17 (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा-18 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा-18 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा-19 (ए से डी)	अनिर्णीत
22	पैरा-19 (ई)	अनिर्णीत
23	पैरा-19 (एफ 1 से 15)	अनिर्णीत
24	पैरा-20 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा-20 (बी) (1)	अनिर्णीत
26	पैरा-20 (बी) (2)	अनिर्णीत
27	पैरा-20 (बी) (3)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/94

1	पैरा-4 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा-4 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा-11 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा-11 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा-13 (क)	अंशतः निर्णीत
7	पैरा-13 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा-13 (घ)	अनिर्णीत
9	पैरा-13 (ङ)	अनिर्णीत
10	पैरा-15 (ख से घ)	अनिर्णीत
11	पैरा-16 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा-16 (घ)	अनिर्णीत
13	पैरा-16 (छ)	अनिर्णीत
14	पैरा-16 (ज)	अनिर्णीत
15	पैरा-16 (झ)	अनिर्णीत
16	पैरा-16 (ट, ठ, ड, ण)	अनिर्णीत
17	पैरा-16 (ढ)	अंशतः निर्णीत
18	पैरा-16 (थ)	अनिर्णीत
19	पैरा-16 (घ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व)	अनिर्णीत
20	पैरा-16 (श)	अंशतः निर्णीत
21	पैरा-16 (स)	अनिर्णीत
22	पैरा-16 (ष)	अनिर्णीत
23	पैरा-16 (त्र)	अनिर्णीत
24	पैरा-16 (ख, ख)	अनिर्णीत
25	पैरा-16 (ग, ग)	अनिर्णीत
26	पैरा-16 (घ, घ)	अनिर्णीत

27	पैरा-16 (ड, ड)	अनिर्णीत
28	पैरा-16 (छ, छ)	अनिर्णीत
29	पैरा-16 (ज, ज)	अनिर्णीत
30	पैरा-16 (झ, झ)	अनिर्णीत
31	पैरा-16 (ञ, ञ)	अनिर्णीत
32	पैरा-17 (ग)	अनिर्णीत
33	पैरा-17 (ङ)	अनिर्णीत
34	पैरा-18	अनिर्णीत
35	पैरा-19	अनिर्णीत
36	पैरा-20	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/98

1	पैरा-4	अनिर्णीत
2	पैरा-5	अनिर्णीत
3	पैरा-6	अनिर्णीत
4	पैरा-7	अनिर्णीत
5	पैरा-8	अनिर्णीत
6	पैरा-9	अनिर्णीत
7	पैरा-10	अनिर्णीत
8	पैरा-12 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा-12 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा-12 (ङ) 1 व 2	अनिर्णीत
11	पैरा-12 (छ)	अनिर्णीत
12	पैरा-12 (ज)	अनिर्णीत
13	पैरा-12 (झ)	अनिर्णीत
14	पैरा-12 (ञ)	अनिर्णीत
15	पैरा-12 (ट) 1 व 2	अनिर्णीत
16	पैरा-12 (ठ)	अनिर्णीत
17	पैरा-12 (ड)	अनिर्णीत
18	पैरा-12 (ण)	अनिर्णीत

19	पैरा-12 (त)	अनिर्णीत
20	पैरा-13 (क)	अनिर्णीत
21	पैरा-13 (ख) (1 से 4)	अनिर्णीत
22	पैरा-13 (ख) (5 से 6)	अनिर्णीत
23	पैरा-16 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
24	पैरा-19 (क)	अनिर्णीत
25	पैरा-19 (ख)	अनिर्णीत
26	पैरा-19 (घ)	अनिर्णीत
27	पैरा-19 (च)	अनिर्णीत
28	पैरा-20 (ख)	अनिर्णीत
29	पैरा-20 (ग)	अनिर्णीत
30	पैरा-20 (घ)	अनिर्णीत
31	पैरा-20 (ङ)	अनिर्णीत
32	पैरा-20 (च)	अनिर्णीत
33	पैरा-20 (ज)	अनिर्णीत
34	पैरा-20 (ण)	अनिर्णीत
35	पैरा-22 (ङ)	अनिर्णीत
36	पैरा-22 (च)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

1	पैरा-4	अनिर्णीत
2	पैरा-6	अनिर्णीत
3	पैरा-11	अनिर्णीत
4	पैरा-13	अनिर्णीत
5	पैरा-14	अनिर्णीत
6	पैरा-15 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा-15 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा-16 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा-16 (ग)	अनिर्णीत
10	पैरा-17	अनिर्णीत

11	पैरा-24	अनिर्णीत
12	पैरा-25	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2001

1	पैरा- 11	अनिर्णीत
2	पैरा- 12	अनिर्णीत
3	पैरा- 13	अनिर्णीत
4	पैरा- 14 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा- 16	अनिर्णीत
6	पैरा- 17	अनिर्णीत
7	पैरा- 18 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा- 20	अनिर्णीत
9	पैरा- 21	अनिर्णीत
10	पैरा- 23 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा- 23 (ख)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा- 5 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा- 5 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा- 5 (घ)	अनिर्णीत
4	पैरा- 5 (च)	अनिर्णीत
5	पैरा- 5 (छ)	अनिर्णीत
6	पैरा- 5 (ज)	अनिर्णीत
7	पैरा- 5 (झ)	अनिर्णीत
8	पैरा- 7	अनिर्णीत
9	पैरा- 8 (क व ख)	अनिर्णीत
10	पैरा- 9	अनिर्णीत
11	पैरा- 10 (क व ख)	अनिर्णीत
12	पैरा- 11 (क व ख)	अनिर्णीत
13	पैरा- 13 (ख)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2008

1	पैरा- 3	अनिर्णीत
2	पैरा- 5	अनिर्णीत
3	पैरा- 6	अनिर्णीत
4	पैरा- 7	अनिर्णीत
5	पैरा- 8	अनिर्णीत
6	पैरा- 9 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा- 9 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा- 9 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा- 9 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा- 9 (5)	अनिर्णीत
11	पैरा- 9 (6)	अनिर्णीत
12	पैरा- 9 (7)	अनिर्णीत
13	पैरा- 9 (8)	अनिर्णीत
14	पैरा- 10	अनिर्णीत
15	पैरा- 11	अनिर्णीत
16	पैरा- 12 (1)	अनिर्णीत
17	पैरा- 12 (2)	अनिर्णीत
18	पैरा- 13 (1)	अनिर्णीत
19	पैरा- 14	अनिर्णीत
20	पैरा- 15 (1)	अनिर्णीत
21	पैरा- 15 (2)	अनिर्णीत
22	पैरा- 15 (3)	अनिर्णीत

23	पैरा— 15 (4)	अनिर्णीत
24	पैरा— 15 (5)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2011

1	पैरा— 4 (ii)	अनिर्णीत	
2	पैरा— 5 (i)	अनिर्णीत	
3	पैरा— 5 (ii)	अनिर्णीत	
4	पैरा— 5 (iii)	निर्णीत	(फर्नीचर रिपेयर/रिपलैसमेंट छात्रों से एक बार वसूली जाने की पुष्टि उपरान्त)
5	पैरा— 5 (iv)	निर्णीत	
6	पैरा— 6 (i)	अनिर्णीत	
7	पैरा— 6 (ii)	अनिर्णीत	
8	पैरा— 6 (iii) (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा— 6 (iii) (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा— 6 (iii) (ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा— 6 (iv) (क)	अनिर्णीत	
12	पैरा— 6 (iv) (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा— 6 (iv) (ग)	अनिर्णीत	
14	पैरा— 6 (v)	अनिर्णीत	
15	पैरा— 6 (vi) (क)	अनिर्णीत	
16	पैरा— 6 (vi) (ख)	अनिर्णीत	
17	पैरा— 6 (vii)	अनिर्णीत	
18	पैरा—6 (viii)	अनिर्णीत	
19	पैरा—6 (ix)	अनिर्णीत	
20	पैरा—6 (x)	अनिर्णीत	
21	पैरा—6 (xi)	अनिर्णीत	
22	पैरा—6 (xii)	अनिर्णीत	

23	पैरा-6 (xiii)	अनिर्णीत	
24	पैरा-7 (i)	अनिर्णीत	
25	पैरा-7 (ii)	अनिर्णीत	
26	पैरा-8 (i)	निर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टियों की सत्यापना उपरान्त)
27	पैरा-8 (ii)	निर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टियों की सत्यापना उपरान्त)
28	पैरा-9	अनिर्णीत	
29	पैरा-10	अनिर्णीत	
30	पैरा-11	अनिर्णीत	
31	पैरा-12	अनिर्णीत	
32	पैरा-13 (i) (ii)	अनिर्णीत	